संख्या-18/2021/289/छप्पन-2020-153/2000

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी , 2021

विषय: राजकीय बेल 412 वीटी-यू0पी0के0 हेलीकाप्टर के Damper & Spindle Bearing Assemblies, part no. 412-010-190-105 sl. no. LK1990, Qty. 01 का ओवरहॉल कराए जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 529/CADUP/ENG(PUR)/UPK-08/2021 दिनांक 04 फरवरी, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि राजकीय Bell 412EPI, VT-UPK Helicopter के Damper & Spindle Bearing Assemblies, part no. 412-010-190-105 sl. no. LK1990 & DN1809, Qty. 02 का रिपेयर/ओवरहाल M/s. Able Aerospace Services, 7706 E Velocity Way, Mesa, AZ 85212, U.S.A. से कराये जाने हेतु फर्म से प्राप्त बजटरी कोटेशन के आधार पर यू.एस. डालर 37310.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 78 प्रति यू.एस. डालर की विनिमय दर से कुल रूपये 29,10,180/- (रूपये उनतीस लाख दस हजार एक सौ अस्सी मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि का अग्रिम भुगतान फर्म को निदेशालय के बचत खाता संख्या-32690267244 के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-71/2020/1834/छप्पन-2020-153/2000 दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 द्वारा निर्गत की गयी थी।इस निर्गत वित्तीय स्वीकृति के संदर्भ में अवगत कराया गया है कि पुर्जों के Strip down inspection के उपरान्त फर्म द्वारा Damper & Spindle Bearing Assy. Sl. no. DN1809 को Beyond Economical Repair (BER) घोषित किया गया है , इस प्रकार अब Damper & Spindle Bearing Assemblies, part no. 412-010-190-105 sl. no. LK1990, Qty. 01 के रिपेयर/ ओवरहाल के लिए यू.एस. डालर 18655.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 78/- प्रति यू.एस. डालर की विनिमय दर से कुल रूपये 14,55,090/- (रूपये चौदह लाख पचपन हजार नब्बे मात्र) होता है, का भुगतान M/s. Able Aerospace Services, 7706 E. Velocity Way, Mesa, AZ 85212, U.S.A. को करने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण तथा फर्म को अग्रिम भुगतान किये जाने एवं फर्म द्वारा Beyond Economical Repair (BER) घोषित किये गये Damper & Spindle Bearing Assy. (Sl. no. DN1809), Qty. 01 को As is condition में वापस मंगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- अत: श्री राज्यपाल राजकीय बेल 412 ईपी, VT-UPK हेलीकाप्टर के Damper & Spindle Bearing Assemblies, part no. 412-010-190-105 sl. no.LK1990, Qty. 01 का ओवरहाल कार्य कम्पोनेन्ट निर्माता फर्म Bell Textron की Authorised Company M/s. Able Aerospace Services, 7706E. Velocity Way, Mesa, AZ 85212, U.S.A. से कराए जाने तथा फर्म द्वारा Beyond Economical Repair (BER) घोषित Damper & Spindle Bearing Assemblies, part no. 412-010-190-105 sl. no. DN1809 Qty. 01 को As is condition में वापस मंगाये जाने की स्वीकृति हेतु यू.एस. डॉलर 18655.00 जो रूपए 78/- प्रति डॉलर की दर से भारतीय मुद्रा में रूपए 14,55,090/- (रूपए चौदह लाख पचपन हजार नब्बे मात्र) होता है, की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या-71/2020/1834/ छप्पन- 2020-153/2000 दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 द्वारा अवमुक्त धनराशि रुपये 29,10,180/- के सापेक्ष पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि रुपये 14,55,090/- को घटाते हुए अवशेष धनराशि कोषागार में जमा किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त कम्पोनेन्ट का ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

6- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा। वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति सम्बन्धी शर्तें शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार यथावत रहेगी।

7- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक- 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-276 /दस-2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या: 18/2021/289(1)/छप्पन-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।